

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

कोटासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 080 / 2024

1. भीमराज पुत्र मदनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गणेश पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सतवीर पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. राहुल कुमार पुत्र सोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

- - वादीगण

बनाम

1. गुड्डी उर्फ शान्ति पुत्री भागमल पत्नी ओमप्रकाश जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रिसालियाखेड़ा तहसील व जिला सिरसा।
2. निर्मला पत्नी रतीराम पुत्री भागमल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. सन्तरो पत्नी कृष्णलाल पुत्री भागमल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बुधरवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. चन्द्रावली पत्नी कृष्णलाल पुत्र भागमल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. सुनी देवी पत्नी मदनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. पुष्पा देवी पत्नी प्रेमचन्द्र पुत्री मदनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा।
7. मन्जू पत्नी गुरजन्त सिंह पुत्री मदनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 35 एस.एल. डब्ल्यू. श्रीगंगानगर।
8. सुनीता पत्नी मांगीलाल पुत्री मदनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी 47 एस.एल. डब्ल्यू. श्रीगंगानगर।
9. कौशल्या पत्नी दलीप कुमार पुत्री पानादेवी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी लट्ठावाली जिला श्रीगंगानगर।



10. रमेश पुत्र पानादेवी पुत्री भागमल जाति जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ख्यालीवाला श्रीगंगानगर।

11. रोहताश पुत्र पानादेवी पुत्री भागमल जाति जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ख्यालीवाला श्रीगंगानगर।

12. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 22.07.2024

वादीगण की ओर से श्री महेश कुमार गौड़ अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर श्री सुनील कुमार शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.07.2024 को जाति गुप्ता आर.ए.एस. पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम अपेदारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क) वादी संख्या 1 भीमराज को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 232/248(30) किला नम्बर 20, 22, 23/0.759 हैक्टर, पत्थर नम्बर 231/248(29) किला नम्बर 14/2/0.038, 15/1/0.126 हैक्टर दक्षिण दिशा, पूर्व से पश्चिम, 16/0.253 हैक्टर 19/0.025 हैक्टर पश्चिमी दिशा, उतर से दक्षिण।

(ख) वादी संख्या 2 गणेश कुमार, वादी संख्या 3 सतवीर को ब0हि0ब0 प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 231/248(29) किला नम्बर 6/2/0.007 हैक्टर दक्षिणी दिशा, पूर्व से पश्चिम, पत्थर नम्बर 232/248(30) किला नम्बर 9/0.013 दक्षिणी दिशा, पूर्व से पश्चिम, 10/0.013 हैक्टर दक्षिणी दिशा पूर्व से पश्चिम।

(ग) वादी संख्या 2 गणेश कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 232/248(30) किला नम्बर 3/2/0.215, 8/0.243 हैक्टर पूर्वी दिशा, उतर से दक्षिण तथा दक्षिण की ओर 0.013 हैक्टर रकबे को शामिल करते हुए 13/0.127 हैक्टर उतरी दिशा, पूर्व से पश्चिम।

(घ) वादी संख्या 3 सतवीर को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 231/248(29) किला नम्बर 6/2/0.094 हैक्टर उतरी दिशा, पत्थर नम्बर 232/248(30) किला नम्बर 9/0.240 हैक्टर उतरी दिशा, पूर्व से पश्चिम, 10/0.240 हैक्टर उतरी दिशा, पूर्व से पश्चिम, 8/0.010 हैक्टर पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण, दक्षिण की ओर 0.013 हैक्टर रकबे को छोड़ते हुए।

(ङ) वादी संख्या 4 राहुल कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 9 सी.डी.आर. के पत्थर नम्बर 231/248(29) किला नम्बर 15/1/0.089 हैक्टर उतरी दिशा, पूर्व से पश्चिम, पत्थर नम्बर 232/248(30) किला नम्बर 11, 12, 18/0.759 हैक्टर, 19/0.228 हैक्टर पूर्वी दिशा, उतर से दक्षिण, 13/0.126 हैक्टर दक्षिणी दिशा, पूर्व से पश्चिम।



आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

“तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक ~~22.07.24~~ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	--	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	--	अर्जी के लिये स्टाम्प	--
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	--	प्लीडर की फीस	--
रूपये पर प्लीडर की फीस	--	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	--	आदेशिका की तामिल	--
कमिश्नर की फीस	--	कमिश्नर की फीस	--
आदेशिका की तामिल	--		--
योग	--	योग	--